AcR 272

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

क्रमांक:एफ.1( )संस्था/मदसविवि/2012/1547 दिनांक 20-01-12

कार्यालय आदेश

प्रबंध बोर्ड की 82 वीं बैठक दिनांक 28 अगस्त, 2010 के निर्णय संख्या 27 की अनुपालना में विश्वविद्यालय के अशैक्षणिक संवर्ग के अधिकारियों एवं कार्मिकों के वर्ष 2010–2011 से वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रबंध बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करने हेतु माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार प्रतिवेदक अधिकारी, समीक्षक अधिकारी एवं स्वीकृत अधिकारी निम्नानुसार निर्धारित किये गये है :–

क्र.सं.	पद	प्रतिवेदक अधिकारी	समीक्षक अधिकारी	स्वीकृतकर्ता अधिकारी
1.	राजपत्रित अधिकारी (प्रतिनियुक्त) (क) कुलसचिव व वित्त नियंत्रक (ख) लेखाधिकारी व सहायक लेखाधिकारी (ग) सहायक अभियन्ता/एच0 एल0 ए0	 कुलपति वित्त नियंत्रक कुलसचिव	 — कुलपति कुलपति	 राज्य सरकार राज्य सरकार राज्य सरकार
2.	अराजपत्रित कार्मिक (प्रतिनियुक्त)	नियंत्रक अधिकारी	कुलपति	राज्य सरकार से संबंधित विभागाध्यक्ष
3.	सहायक कुलसचिव/उपकुलसचिव/एसीपी (जिनके नियंत्रक अधिकारी परीक्षा नियंत्रक हैं)	परीक्षा नियंत्रक	कुलसचिव	कुलपति
4.	सहायक कुलसचिव/उपकुलसचिव (जिसके नियंत्रक अधिकारी वित्त नियंत्रक हैं)	वित्त नियंत्रक	कुलसचिव	कुलपति
5.	परीक्षा नियंत्रक/अतिरिक्त कुलसचिव शेष सहायक कुलसचिव/उपकुलसचिव	कुलसचिव	—	कुलपति
6.	कनिष्ठ लिपिक संवर्ग से अनुभागाधिकारी संवर्ग तक के कार्मिक	नियंत्रक अधिकारी	कुलसचिव	कुलपति

वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रपत्र में चार भाग हैं । भाग–1 संबंधित कार्मिक द्वारा स्वयं भरा जाना है जिसे भर कर वे अपने प्रतिवेदक अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे । प्रतिवेदक अधिकारी अपनी अभ्युक्तियां भाग–2 में भर कर गोपनीय रूप से समीक्षक अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे । समीक्षक अधिकारी, प्रतिवेदक अधिकारी से प्राप्त अभ्युक्तियों के आधार पर कार्मिक का समग्र मूल्यांकन करते हुए अपनी अभ्युक्ति प्रपत्र के भाग–3 में अंकित करके से स्वीकृत कर्ता अधिकारी के समक्ष गोपनीय रूप से प्रस्तुत करेंगे ।

अतः अशैक्षणिक संवर्ग के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संस्थापन अनुभाग से वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रपत्र की प्रति प्राप्त कर लें और वित्तीय वर्ष 2010–2011 के मूल्यांकन का प्रपत्र भर कर 30 जनवरी, 2012 तक अपने प्रतिवेदक अधिकारी को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ।

प्रतिवेदक अधिकारी अपनी अभ्युक्तियां समीक्षक अधिकारी को गोपनीय रूप में दिनांक 05–02–2012 तक पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे । विश्वविद्यालय कार्मिकों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकार करने वाले अधिकारी की अभ्युक्ति होने के बाद कुलसचिव की अभिरक्षा में कुलसचिव कार्यालय में संधारित रहेंगे ।

कुलसचिव

Scanned with CamScanner